न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 09/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/13

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	**अभियुक्त :–** 1. श्री राजुराम पुत्र श्री खेताराम जी प्रजापत मैसर्स– श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड जौलाना, तहसील अरथुना, बॉसवाडा 2. श्री नारायण पुत्र गोरखरामजी प्रजापत मैसर्स– श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड जौलाना, तहसील अरथुना, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 22.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 25–02–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22–10–2021 को 02.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स– **श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड जौलाना, तहसील अरथुना, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री राजुराम पुत्र श्री खेताराम जी प्रजापत** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **आम का आचार (Brand-Regal)** के 500 ग्राम के 18 पैक डिब्बे आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखा आम का आचार (Brand- Regal)** के चार पैक डिब्बे वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर वि[illegible] गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु [illegible] आम [illegible] **(Brand- Regal)** के चार पैक डिब्बे को मूल ही नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भा[illegible] फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला क[illegible])
बांसवाड़ा (राज.)

खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2021 / 265–266 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 239 दिनांक 01.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया आम का आचार **(Brand-Regal)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **आम का आचार (Brand-Regal)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 25–02–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22.03.2022 को अभियुक्त **श्री राजुराम पुत्र श्री खेताराम जी प्रजापत, श्री नारायण पुत्र गोरखरामजी प्रजापत** ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2021 / 265–266 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 239 दिनांक 01.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया आम का आचार **(Brand- Regal)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **आम का आचार (Brand- Regal)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री राजुराम पुत्र श्री खेताराम जी प्रजापत मैसर्स– श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड जौलाना, तहसील अरथुना, बॉसवाडा को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र), श्री नारायण पुत्र गोरखरामजी प्रजापत मैसर्स– श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड जौलाना, तहसील अरथुना, बॉसवाडा को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:49 IST
Reason: SelfAttested